



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267365
CG-DL-E-04112025-267365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4827]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4827]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4982(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रस्तावित के 0.500 किमी. से 11.700 किमी के लखनऊ रिंग रोड (किसान पथ) तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (सर्विस रोड बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-लखनऊ रिंग रोड (किसान पथ) तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), संयुक्त संगठन लखनऊ	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Ring	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सदर	1 नरेन्द्री 2 जुगगौर 3 मेहौरा

		Road के कि.मी 0.5 से कि.मी 11.7 तक				4	लौलाई
						5	सिकन्दर पुर खुर्द
						6	देवरिया
						7	अनौरा
				मोहनलालगंज	1	बक्कास	
					2	चौरहिया	
					3	मलूकपुर ढकवा	
					4	ढखवा	
					5	दुलारमऊ	
					6	नूरपुर बेहटा	

[फा. सं. NHAI/27016/LA/2025/Notification/PIU/Lucknow]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4982(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.500 to Km. 11.700 of the Lucknow Ring Road (Kisan Path) for building (Service Road etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Lucknow Ring Road (Kisan Path) in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM(LA) Joint organation Lucknow	Ring Road KM 0.5 TO KM 11.7	UTTAR PRADESH	LUCKNOW	Sadar	1 Narendi 2 Juggaur 3 Mehora 4 Lolai 5 Sikandarpur Khurd 6 Devariya 7 Anora
					Mohanlalganj	1 Bakkas 2 Chaurhiya 3 Malookpur Dhakwa 4 Dhakhawa

						5	Dularmau
						6	Noorpur Behata

[F. No. NHAI/27016/LA/2025/Notification/PIU/Lucknow]

SHAIKH AMINKHAN, Director